उपरोक्त विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक देय धनराशियो का भुगतान ओरियन्टल बैंक आफ कॉमर्स मेवाड इन्स्टीटयूट, सेक्टर–4, वसुन्धरा शाखा, गाजियाबाद के परिषद खाता संख्या–52331171000104 (गुलाबी पर्ची) में बैंक ड्राफ्ट (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद के पक्ष में देय) के माध्यम से (बैंक कार्यदिवसो में) अवश्य जमा करानी होगी एवं किसी भी धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर 19 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज पूर्ण माह का देय होगा। प्रदेशन पत्र के अनुसार प्रथम वांछित 25 प्रतिशत की धनराशि निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा करानी होगी, निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा न होने पर भूखण्ड का प्रदेशन नियमानुसार कटौती करते हुए निरस्त कर दिया जायेगा। शेष नियम व शर्ते निम्नवत् हैं –

अ. प्रदेशन/आवंटन पत्र निर्गत होने के 90 दिनो के अन्दर 25 प्रतिशत धनराशि एवं विविध शुल्क की धनराशि उपरोक्तानुसार जमा करानी होगी एवं तत्पश्चात् 60 दिनो के अन्दर किश्त किराया कय अनुबन्ध हेतु अन्य औपचारिकताये पूर्ण करने के उपरान्त कब्जा देय होगा। किश्त किराया कय अनुबन्ध/विकय विलेख हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क केता द्वारा स्वय वहन करना होगा।

ब सम्पत्ति लीज पर आवंटित है, ब्रोशर में अंकित शर्तो के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण करने एवं समस्त जन सुविधा विकसित कर एवं ब्रोशर में अंकित अन्य शर्ते पूर्ण करने के उपरान्त कुल भूमि मूल्य का 02 प्रतिशत फी होल्ड शुल्क जमा कराकर विकासकर्ता सम्पत्ति को फ्रीहोल्ड करा सकेगा।

स. भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात मानचित्र स्वीकृत कराया जा सकेगा। मानचित्र स्वीकृत के पश्चात आ... परिषद के भवन निर्माण उपविधि/समाचार पत्र में विज्ञप्ति एवं परिषद नियमानुसार एफ0ए0आर0/ग्राउण्ड कवरेज भूखण्ड पर योजना प्रकाशित करने का अधिकार होगा। परिषद से विकय विलेख निष्पादित कराने से पूर्व किसी केता को विकय की गयी सम्पत्ति (दुकान/भवन, जो लागू हो) हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा। परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर बल्क सेल भूखण्ड पर निर्माण कराने हेतु अनुमन्य अवधि कब्जा प्राप्त करने की तिथि से पांच वर्ष विद्युत/ट्रांसफारमर का व्यय स्वयं केता को व्यय करना होगा।

द. भूखण्ड का क्षेत्रफल अनुमानित है। ब्रोशर की शर्त के अनुसार घट–बढ सकता है।

य. केन्द्र सरकार/उ0प्र0 सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा लागू कर जैसे सर्विस टैक्स, आयकर, जलकर एवं अन्य

र. केता को स्वयं वहन करना होगा।

ल. आवंटित भूमि के सम्बन्ध में मा0 सक्षम न्यायालयो द्वारा समय–समय पर यदि कोई निर्णय पारित किये जाते उनका अनुपालन उभयपक्ष को करना होगा।

व. सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु इस पत्र पर नीचे अंकित सभी प्रपत्र दिनांक 31.5.2014 तक इस कार्यालय मे... कर किश्त किराया अनुबन्ध निष्पादित कराना होगा, अन्यथा रू0–300.00 प्रतिदिन की दर से सम्पूर्ण प्रपत्र जमा की तिथि तक विलम्ब शुल्क देय होगा। कब्जा पत्र निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर भौतिक कब्जा न ले... रू0–300.00 प्रतिदिन की दर से भौतिक कब्जा लेने की तिथि तक रख–रखाव शुल्क भी देय होगा।

प. उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर शासन/परिषद द्वारा बनाये गये नियम व शर्ते आवंटन की तिथि से प्रभावी एवं केता को मान्य होगें।

फ ट्र–बिड से नीलामी हेतु निर्गत ब्रोशर में अंकित नियम व शर्तो के अतिरिक्त जो प्राविधान उपलब्ध नहीं है, में आवास एवं विकास परिषद नीलामी सम्बन्धी विनियमावली एवं प्रदेशन सम्बंधी विनियमावली 1980 यथा स... फरवरी 1993 के प्राविधान लागू होगें।

ब ट्र–बिड से नीलामी हेतु निर्गत ब्रोशर में अंकित समस्त नियम व शर्ते आवंटी पर लागू होगी तथा इन नियम व... संशोधन/आंशिक संशोधन किये जाने का अधिकार आवास आयुक्त महोदय में निहित होगा। किसी भी विवाद... स्थिति में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अंतिम एवं स्वीकार्य होगा।

भवदीय

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास...

आवंटी द्वारा दिनांक 31.5.2014 तक इस कार्यालय में जमा करने वाले प्रपत्रों की सूची नोट :–

1. कब्जे से पूर्व भूखण्ड के कुल मूल्य का 07 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी अथवा शासनादेश के अनुसार लागू ड्यूटी एवं रू0–100.00 का स्टाम्प पेपर जमा करें। स्टाम्प पेपर की गणना समय–समय पर शासनादेशानुसार परिवर्तनीय है।
2. स्टाम्प पेपर कोषाधिकारी गाजियाबाद से निर्गत ही मान्य होगें।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–27 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा गाजियाबाद के 05 नग साईट प्लान प्राप्त कर जमा करायें।
4. राजपत्रित अधिकारी से दो फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर जमा करें। कम्पनी/संस्था की दशा प्रमाण पत्र भी जमा कराना होगा।
5. रू0–50.00 फी–होल्ड पुस्तिका शुल्क जमा करा पुस्तिका कार्यालय से प्राप्त करें।
6. रू0–10.00 के स्टाम्प पेपर पर फी–होल्ड शपथ पत्र।